

कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर

पुलिस कमिश्नरेट के सामने, रोटरी सर्कल के पास, जोधपुर (राज.)-342001 Email- dcf.jdpr.forest@rajasthan.gov.in

कमांक: एफ(141)FCA/उवसं/2023/2056

दिनांक: 9/3/2023

निमित्त:- Executive Engineer (TC),
RVPN, Jodhpur (Rajasthan)
PIN-342 001

विषय:- Diversion of 0.1404 Ha. for Construction for 132 KV S/C Setrawa-Sekhala Line , Tehsil -
Balesar , District -Jodhpur (Rajasthan), Proposal No FP/RJ/TRANS/ 147919/ 2011

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
का पत्रांक 8बी-राज 022/2022-जे.पी.आर दिनांक 09.05.2022, इस कार्यालय पत्रांक 1932
दिनांक 06.06.2022 एवं 1303 दिनांक 17.02.2023 के क्रम में

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर का पत्रांक 8बी-राज022/2022-जेपीआर दिनांक 09.05.2022 द्वारा वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण Diversion of 0.1404 Ha. for Construction for 132 KV S/C Setrawa-Sekhala Line , Tehsil -Balesar , District -Jodhpur (Rajasthan), Proposal No FP/RJ/TRANS/ 147919/ 2011 में वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है। अतः संदर्भित पत्र से अधिरोपित निम्नलिखित बिन्दुओं की संशोधित दर अनुसार राशि जमा करवाकर, शेष शर्तों की भी पालना/वचनबद्धता रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें:-

बिन्दु अ

बिन्दु संख्या 1- प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वनविभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का क्षतिपूरक वृक्षारोपण (15 नग वृक्ष × 10 = 150 नये वृक्ष) एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धन राशि रुपये 1,79,000+ 3580/- = 182580/- (अक्षरे एक लाख बियासी हजार पाँच सौ अस्सी रुपये मात्र) कैम्पा मद नई दिल्ली में ई-चालान के द्वारा जमा करावे। एवं साथ ही भविष्य में अगर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर की पुनः बढ़ोतरी होने पर बढ़ी हुई राशि जमा कराने की वचन बद्धता संलग्न करें।

बिन्दु संख्या 2- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिटपिटीशन (सिविल) 202 /1995 के अन्तर्गत आई.ए.सं. 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि (T. N Godavarman Thirumulpad petitioners में दिये आदेशानुसार तथा भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित दर पत्रांक 5-3/2011-एफसी (वोल्युम-1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार Open Forest NPV@ 6,70,140 = 0.1404 X 6,70,140 रुपये = 94,088/- (अक्षरे चौरानवे हजार अठासी रुपये मात्र) रुपये ई-चालान पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद नई दिल्ली में जमा करावे एवं साथ ही भविष्य में अगर उक्त एन.पी.वी. की दर में बढ़ोतरी होने पर बढ़ी हुई राशि जमा कराने की वचन बद्धता संलग्न करें।

कृ०पृ०उ०


29/01/2023

विन्दु व

विन्दुसंख्या 5 - प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विद्युत लाईन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 6,98,000/- + 13960/- = 711960/- (अक्षरे सात लाख ग्यारह हजार नौ सौ साठ रुपये मात्र) कैम्पा मद नई दिल्ली में जमा करावे एवं साथ ही भविष्य में अगर उक्त एन.पी.वी. की दर में बढ़ोतरी होने पर बढी हुई राशि जमा कराने की वचन बद्धता संलग्न करें।

उक्त के अलावा सैद्धान्तिक स्वीकृति के शेष विन्दुओ पार्ट अ के 3 से 7 एवं पार्ट बी के विन्दु संख्या 1 से 4 तथा 6 से 21 तक की विन्दुवार पालना/वचनबद्धता सैद्धान्तिक स्वीकृति अनुसार भिजवाना सुनिश्चित करावे। प्रकरण में नियमानुसार जमा की जाने वाली राशि स्टेट कैम्पा के निर्धारित मद में ई-चालान द्वारा ऑन लाइन जमा करवाकर चालान की प्रति यू.टी.आर. संख्या अंकित करने के साथ उपलब्ध करावे। इसके अलावा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012-एफ.सी. दिनांक 24.07.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्रों की एक मूल प्रति व 4 सेट प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रमाणित प्रतियों की पालना के साथ फाईल/फोल्डर बनाकर इस कार्यालय में उपलब्ध करावे, ताकि आप द्वारा प्रस्तुत पालना/वचनबद्धता अग्रेतर कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को प्रेषित की जा सके।

भवदीय



(अजीत उचोई)

उप वन संरक्षक

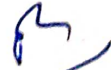
जोधपुर

दिनांक: 01/12/2023

क्रमांक: सम/2057-58

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर



उप वन संरक्षक

जोधपुर

01/12/23
09-03-23